न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 16/2025

बउनवान

जिला रसद अधिकारी, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

श्री किशन गोस्वामी (पॉश कोड–7051), उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत ढोटी, तहसील–अटरू, जिला–बारां (राज.) (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

आदेश दिनांक– 01.12.2025

1– प्रार्थी की ओर से जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितता कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर कार्यालय के पत्रांक 2028–55 दिनांक 02.12.2022 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू NFSA 20275.50 किग्रा. का गबन करने एवं अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर खण्ड 8 क व 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर कार्यालय के आदेश क्रमांक 1909–1918 दिनांक 26.04.2025 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 79/2003 को निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। तथा उक्त उचित मूल्य दुकानदार से 20275.50 किग्रा गेंहू की राशि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.2020 अनुसार भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चो के आधार पर निर्धारित दर 27/– रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 547439/– रूपये की वसूली की जानी है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र I प्रस्तुत करने पर दिनांक 01.08.2025 को प्रपत्र–2 धारा–4 के तहत जारी किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमांग वसूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3– अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी ने जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी को संस्था अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति द्वारा इतना गेंहू का वितरण नहीं किया गया है जिसका समस्त रेकार्ड इकट्ठा कर पेश करने हेतु 3 माह का समय दिया जाने की कृपा करें।

4– दौराने बहस अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। इस पर अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय बहस प्रार्थी की सुनी गई।

5– दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू NFSA 20275.50 किग्रा का गबन करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.28 12:20:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 79/2003 निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। अप्रार्थी से 20275.50 किग्रा. गेंहू की राशि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.2020 अनुसार भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27/–रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 547439/– रू. वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

6– हमने एकपक्षीय बहस प्रार्थी पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी एफपीएस (पॉश कोड 7051) द्वारा अवशेष स्टॉक 20275.50 किग्रा. गेंहू अटेचमेन्ट उचित मूल्य दुकानदार को नहीं संभलाया गया। अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 79/2003 निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की गयी। तथा गेंहू की मात्रा के आधार पर निर्धारित दर 27/–रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 547439/– रूपये वसूली योग्य निकाली गई है।

7– अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री किशन गोस्वामी (पॉश कोड–7051), उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत ढोटी, तहसील–अटरू, जिला–बारां (राज0) से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 547439/–रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा–4 जिला रसद अधिकारी, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 01.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर, बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.28 12:20:12 IST
Reason: SelfAttested